

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

Male

FAX

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या प्र02 वि01-64 / 2012 १६८४

दिनांक 18.12.14

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9(a) तथा 10 (1-a) में यथा विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में अंकित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से पूर्ण कालिक अध्यक्ष के पद पर पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक के लिए नियुक्त किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	अभियुक्त
01	02	03	04
01	श्री जगवीर कुमार कटियार, पिता - स्व0 राजकुमार, पता - फ्लैट सं0 - 60, सुदर्शन हाउसिंग सोसायटी, विनायक पुर, पो0 - सी0एस0जी0एम0, युनिवर्सिटी, कानपुर, पिन - 208024	किशनगंज	
02	श्री गजेन्द्र प्रसाद, पता - तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम, हाजीपुर, वैशाली।	कैमूर	
03	श्री गोविन्द प्रसाद सिंह, पिता - स्व0 विन्ध्याचल सिंह, पता - मकान सं0 22 / 377, मु0 - गरुलपुर, पो0 - जिला - देवरियॉ, उत्तरप्रदेश।	मुजफ्फरपुर	
04	श्री आशुतोष कुमार सिंह, पता - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार शरीफ, नालंदा।	दरभंगा	
05	श्री नंदकिशोर गुप्ता, पिता - स्व0 गया प्रसाद गुप्ता, पता - कॉलेज रोड, कौड़ा मैदान, मुंगेर, बिहार।	मधेपुरा	
06	श्री रामधनी साह, पता - दहेरियॉ, नया टोला, पो0 - दहेरिया मिल्स, जिला - कटिहार, पिन - 854103	सुपौल	

2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. अध्यक्षों का वेतन सेवा निवृत्ति की तिथि को प्राप्त वेतनमान में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1434 दिनांक 09.03.2000 के आलोक में निर्धारित होगा।

*Hanuman
18/12/14*

4. नवनियुक्त अध्यक्ष अपना योगदान संबंधित जिला के जिलाधिकारी को देंगे। योगदान की प्रति अध्यक्ष, राज्य आयोग / निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुत करेंगे।
5. योगदान पत्र के साथ जन्म प्रमाण-पत्र की अभिप्रामाणित प्रति तथा घोषणा पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
6. वांछित प्रमाण-पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Shumukh
9684

(हुकुम सिंह मीना)
सचिव १८/१२/२०१३

ज्ञापांक— प्र02 वि01— 64 / 2012

खाद्य, दिनांक 18.12.14

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Shumukh
सचिव १८/१२/२०१३

ज्ञापांक— प्र02 वि01— 64 / 2012 9684

खाद्य, दिनांक 18.12.14

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / निबंधक, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, आरो ब्लौक, पटना / निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम / संबंधित सभी नवनियुक्त अध्यक्ष / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रशाखा-02 को 5 अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं प्रशाखा- 05 को एवं आई0 टिं0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे संबंधित नवनियुक्त अध्यक्षों को अधिसूचना की प्रति का तामिला अपने स्तर से शीघ्र कराना सुनिश्चित करेंगे।

Shumukh
सचिव १८/१२/२०१३

ज्ञापांक— प्र02 वि01— 64 / 2012 9684

खाद्य, दिनांक 18.12.14

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / निबंधक, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, आरो ब्लौक, पटना / निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम / संबंधित सभी नवनियुक्त अध्यक्ष / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रशाखा-02 को 5 अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं प्रशाखा- 05 को एवं आई0 टिं0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे संबंधित नवनियुक्त अध्यक्षों को अधिसूचना की प्रति का तामिला अपने स्तर से शीघ्र कराना सुनिश्चित करेंगे।